S.No. 1848
Recd. 21.12.12

(241)

प्रारूप – 2

{नियम 8–क का उप–नियम (4)}

कार्यालय जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
जयपुर, राजस्थान

संख्याः JPR/EAST/RTE/0173 दिनांकः 6/10/12

अध्यक्ष / प्रबंधक,
प्रबंध समिति,
श्री श्वेताम्बर जैन विद्यालय शिक्षा समिति
....

विषयः–नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विंद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनांक जनवरी 2012 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में, मैं.. (विद्यालय का नाम और पता) एस.जे. पब्लिक स्कूल, जनउपयोगी भवन 3 पी.हि., जनता कालोनी जयपुर को 1.4.2012 से 31.3.2015 तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा.. पूर्व प्राथमिक से आठ तक के लिए अंतरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन होगीः–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता / सम्बद्वता की कोई बाध्यता अन्तर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय,कक्षा–1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इंकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि–

[signature]